संख्या-45/2020/825 ई-2/तेरह-2020-33/12

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 12 जून, 2020

विषय:-मेसर्स अवध फूड्स इण्डस्ट्रीज, माधवपुर चकत्ता, पोस्ट बालपुर, जनपद गोण्डा को कैटिल फीड निर्माण हेतु शीरे की वास्तविक वार्षिक क्षमता निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-05/दस-140 सी(56)वा0शी030/अवध फूड्स दिनांक 28.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में की गई संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स अवध फूड्स इण्डस्ट्रीज, माधवपुर चकत्ता, पोस्ट बालपुर, जनपद गोण्डा की पशु आहार निर्माण हेतु वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 28,800 कुण्टल (अठ्ठाइस हजार आठ सौ कुन्तल) निर्धारित किए जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।